भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या– 8बी / यू.पी. / 06 / 45 / 2017 / एफ.सी. /643 दिनॉक: 28/11/17

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

<u>ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/19948/2016</u>

विषयः अमरोहा में बदांयू–बिजनौर मार्ग एन0एच0–51 के किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शकी के खसरा संख्या– 79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 2455 / 14–2–2017–800 (148) / 2017, दिनांक– 08.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 1407 / 14–2–2017–800 (148) / 2016, दिनांक– 27.07.2017 का आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 08.08.2017 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रेषित करें।

1. उपलबध कराये गये वनाधिकारी अधिनियम प्रमाण पत्र में हाथ से सुधार किया गया है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी नही किया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रकरण में वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में छुट के लिए इस मामले में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नही कराये हैं।

3. प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की SOI टोपोशीट मूल रूप में नही प्रस्तुत की गयी हैं अतः SOI टोपोशीट मूल रूप में प्रस्तुत की जाए।

भवदीय

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

27.11.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा, उ0 प्र0।
3. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए—5, सेक्टर—3, नोएडा, उ0 प्र0।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली

27.11.17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

email

सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 1464 / अमरोहा / 19948 / 2016, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 29, 2017

प्रतिलिपि वन संरक्षक, **मुरादाबाद** को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख **तीन मूल प्रति में** इस कार्यालय के पत्रांक—2501 / 11सी, दिनांक 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, **अमरोहा** को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वांछित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय के पत्रांक—2501 / 11सी, दि0 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए—5, से0—3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, **अमरोहा** को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।